



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12-04-2021

दिनांक 11/12-04-2021 को रात्रि थाना कैण्ट 01, महानगर 01, कृष्णानगर 01, चिनहट 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 उत्तरी

अवैध ञाराब के साथ गिरफ्तार

थाना इन्दिरानगर:-दिनांक 11-04-2021 को श्री उमेटा द्विवेदी आबकारी निरीक्षक व एस0आई श्री कपिल कुमार राण थाना इन्दिरानगर द्वारा अभियुक्त 01-रंजेश कुमार ऋसह पुत्र सूबेदार ऋसह निवासी ग्राम-पदुम बिछौरा पोस्ट नेवासी तहसील कैसरगंज जनपद बहराइच को सरकारी देशी शराब की दुकान के पास सुगामऊ इन्दिरानगर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 34 पौव्वा देशी शराब 6.4 लीटर बरामद कर थाना इन्दिरानगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध ञाराब के साथ गिरफ्तार

थाना मोहनलालगंज:-दिनांक 11-04-2021 को एस0आई0 श्री विनय सिंह थाना मोहनलालगंज द्वारा अभियुक्त 01-रामसुख पुत्र स्व0 गयादीन निवासी ग्राम भावाखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ को ग्राम भावाखेड़ा मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया मे 18 लीटर अवैध कच्ची ञाराब बरामद कर थाना मोहनलालगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना कैसरबाग:-दिनांक 12-04-2021 को थाना कैसरबाग द्वारा बताया गया कि श्री विजय गुप्ता पुत्र स्व0 बैजनाथ गुप्ता निवासी 118/5 कैण्ट रोड कैसरबाग थाना कैसरबाग लखनऊ ने थाना कैसरबाग पर सूचना दिया कि आज दिनांक 12-04-2021 को समय करीब 06.00 बजे वह अपनी दुकान खोलने आया तो देखा कि उसकी दुकान के सामने फर्टा पर रिकटा चालक राकेटा उम्र करीब 48 वर्दा मृत अवस्था में पड़ा है। इस सूचना पर एस0आई0 श्री दिनेटा चन्द्र मो0नं0-8416861747 द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक की टिनाख्त श्रीमती दुर्गेटा नन्दिनी उर्फ दुर्गा निवासी 116/48 घसियारी मण्डी थाना कैसरबाग लखनऊ ने अपने पति के रूप में किया, मृतक के एक पुत्र है।

थाना बंधरा:—दिनांक 12-04-2021 को थाना बंधरा द्वारा बताया गया कि वादी श्री राजकुमार पुत्र शिवनन्दन निवासी ग्राम खुर्रमपुर थाना बंधरा लखनऊ ने थाना बंधरा पर सूचना दिया कि दिनांक 10-04-2021 की रात्रि समय करीब 11.30 बजे वादी सपरिवार घर में अलग-अलग स्थान पर सभी लोग सो गये थे। दिनांक 11-04-2021 को समय करीब 03.00 बजे प्रातः वादी उठा तो देखा कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान के छत से नीचे आकर कमरे में रखी आलमारी व टीन के बाक्स का लॉक तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात व नकदी करीब 9,500/- रुपये को चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर थाना बंधरा पर मु0अ0सं0 120/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री अरूण कुमार थाना बंधरा द्वारा की जा रही है।